आयुक्त न्यायालय, सारण प्रमण्डल, छपरा।

आपूर्त्ति पुनरीक्षण वाद संख्या –349/2023

सुरेन्द्र यादव उर्फ सुरेन्द्र प्रसाद यादव

बनाम

1. बिहार सरकार
2. जिला दंडाधिकारी, सिवान
3. अनुमंडल पदाधिकारी, महाराजगंज
4. प्रखण्ड आपूर्त्ति पदाधिकारी, बसंतपुर

आदेश

	उपस्थिति, वादी के तरफ से :– विद्वान अधिवक्ता, श्याम किशोर मिश्र, सरोज तिवारी प्रतिवादी संख्या 01 और 04 के तरफ से :– विद्वान विशेष लोक अभियोजक (आवश्यक वस्तु अधिनियम)	
आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	**आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर**	*आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ*
26.09.2024 **01.11.2024**	प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद समाहर्त्ता, सिवान द्वारा आपूर्ति अपील वाद सं0–56/2019–20 में दिनांक– 18.09.2023 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर इस न्यायालय के समक्ष दायर किया गया है। वाद का सारांश यह है कि पुनरीक्षणकर्ता के विरूद्ध जान बुझकर e-POS मशीन के स्केनर से छेड़–छाड़ कर उसे भौतिक क्षति पहुँचाने एवं ससमय खाद्यान्न का वितरण बाधित करने के आरोप के संबंध में प्रखण्ड आपूर्त्ति पदाधिकारी, बसंतपुर के पत्रांक 107 दिनांक 31.01.2020 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में पुनरीक्षणकर्ता से अनुमंडल पदाधिकारी, महाराजगंज, सिवान के ज्ञापांक 40/आ0 दिनांक 31.01.2020 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई। जिसके अनुपालन में पुनरीक्षणकर्ता द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। पुनरीक्षणकर्ता से प्राप्त स्पष्टीकरण को असंतोषजनक पाते हुए अनुज्ञापन पदाधिकारी–सह–अनुमंडल पदाधिकारी, महाराजगंज, सिवान द्वारा पुनरीक्षणकर्ता के अनुज्ञप्ति सं0 07/ 2007 को रद्द कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षणकर्ता द्वारा समाहर्त्ता एवं जिला दंडाधिकारी, सिवान के न्यायालय में वाद सं0–56/2019–20 दायर किया गया। जिसकी विधिवत् सुनवाई के पश्चात् समाहर्त्ता, सिवान द्वारा दिनांक– 08.07.2021 को आदेश पारित करते हुए पुनरीक्षणकर्ता के अपील आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षणकर्ता माननीय न्यायालय में CWJC No. 6794/2022	

Web Copy/Not Official

दाखिल किये। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक– 13.10.2022 को पारित आदेश के आलोक में समाहर्त्ता, सिवान द्वारा पुनः विधिवत् सुनवाई कर दिनांक– 18.09.2023 को आदेश पारित करते हुए दिनांक– 08.07.2021 को पारित आदेश को यथावत रखा है। समाहर्त्ता, सिवान द्वारा पारित उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर पुनरीक्षणकर्ता द्वारा इस न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण वाद दायर किया गया है।

पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक (आवश्यक वस्तु अधिनियम) उपस्थित। विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तारपूर्वक सुना।

पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार :–

''अनुज्ञप्तिधारी की अनुज्ञप्ति सं0 07/2007 मात्र इस आरोप में रद्द कर दी गई की अनुज्ञप्तिधारी द्वारा e-POS मशीन के स्केनर को गलत मंशा से छेड़–छाड़ कर खराब कर दिया गया है ताकि e-POS मशीन से खाद्यान्न का वितरण नहीं करना पड़े जबकि सही तथ्य यह है कि उनके द्वारा प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी, बसंतपुर को दिनांक– 22.01.2020 को ही लिखित सूचना दी जा चुकी थी कि e-POS मशीन खराब होने के कारण राशन का उठाव उपभोक्ताओं के बीच नहीं हो पा रहा है तथा इस संबंध में दिनांक– 28.01.2020 को स्मारित भी किया गया था। परंतु मशीन दुरूस्त कराने के बजाय विभाग के एक समन्वयक श्री अनुज कुमार के निरीक्षण के रिपोर्ट के आधार पर अनुज्ञप्ति रद्द करने की कार्रवाई कर दी गई, जो न्यायोचित नहीं है। जबकि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि e-POS मशीन को उनके द्वारा जान–बुझकर छेड़–छाड़ कर खराब नहीं किया गया है, स्वाभाविक रूप से खराब हुआ है। उसकी मरम्मत करवाया जाय, उसके मरम्मत में हाने वाले खर्च को पुनरीक्षणकर्ता स्वयं अदा करेंगे। परन्तु अनुमंडल पदाधिकारी –सह– अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा इस पर विचार नहीं किया गया। इसलिए निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायपूर्ण नहीं है।''

विद्वान विशेष लोक अभियोजक (आवश्यक वस्तु अधिनियम) के अनुसार पुनरीक्षणकर्ता द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत e-POS मशीन के अधिष्ठापन एवं क्रियान्वयन मार्गदर्शिका, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक– 845 खाद्य, पटना/दिनांक– 19.02.2018 की कंडिका–3 [V] (घ) में वर्णित प्रावधानों के विपरीत आचरण किया गया है। अतः विक्रेता की अनुज्ञप्ति रद्द किया जाना

Web Copy Not Official

उचित है।

पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक (आवश्यक वस्तु अधिनियम) को विस्तारपूर्वक सुनने एवं अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों तथा निम्न न्यायालीय आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है किः–

(i) प्रखंड विकास पदाधिकारी, बसंतपुर, सिवान के पत्रांक– 107, दिनांक– 31.01.2020, अनुमंडल पदाधिकारी, महाराजगंज को प्रेषित पत्र, जिसमें उल्लेख किया है कि श्री सुरेन्द्र यादव, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, ग्राम+पंचायत– मोलनापुर, प्रखण्ड– बसंतपुर, जिला– सिवान के द्वारा e-POS मशीन के स्केनर को छेड़–छाड़ कर दिया गया है, जिसके कारण मशीन कार्य नही कर रही है और खाद्यान्न का वितरण बाधित है। इसलिए विक्रेता के विरूद्ध कठोर कार्रवाई करने की अनुशंसा की जाती है।

उपरोक्त प्रतिवेदित अनियिमतता के कारण पुनरीक्षणकर्ता से अनुमंडल पदाधिकारी, महाराजगंज, सिवान के ज्ञापांक– 40/आ0, दिनांक– 31.01.2020 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी। पुनरीक्षणकर्ता द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर अनुज्ञापन पदाधिकारी –सह– अनुमंडल पदाधिकारी, महाराजगंज, सिवान के पत्रांक– 44/आ0, दिनांक– 04.02.2020 के द्वारा प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी, बसंतपुर से मंतव्य प्राप्त किया गया। प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी, बसंतपुर के पत्रांक– 123, दिनांक– 05.02.2020 द्वारा मंतव्य प्रतिवेदन समर्पित किया गया है कि श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण तथ्यहीन, आधारहीन एवं सत्य से परे है। विक्रेता के शिकायत के आलोक में उनके नाम से आवंटित e-POS मशीन की जाँच प्रखण्ड कॉडिनेटर श्री अनुज कुमार सुमन, बसंतपुर से करायी गयी। उनके द्वारा जाँचोंपरान्त प्रतिवेदित किया गया कि विक्रेता के द्वारा e-POS मशीन के स्केनर पर छेड़–छाड़ कर दिया गया है, जिसके कारण e-POS मशीन कार्य नही कर पा रहा है। विक्रेता के इस कृत्य से उनकी दूकान के लाभुकों के बीच खाद्यान्न का वितरण अवरूद्ध है। ऐसा प्रतीत होता है कि विक्रेता द्वारा गलत मंशा से उक्त e-POS मशीन के स्केनर से छेड़–छाड़ किया गया है, जो विभागीय निदेश का सर्वथा उल्लंघन एवं अनियमितता का द्योतक है। इसलिए विक्रेता द्वारा बरती गयी अनियमितता के लिए दोषी मानते

Web Copy Not Official

हुए उनकी अनुज्ञप्ति को रद्द करने की अनुशंसा की गयी है।

उक्त के आलोक में अनुज्ञापन पदाधिकारी –सह– अनुमंडल पदाधिकारी, महाराजगंज, सिवान द्वारा पुनरीक्षणकर्ता द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को असंतोषजनक पाकर अपने आदेश ज्ञापांक– 54, दिनांक– 07.02.2020 द्वारा अनुज्ञप्ति सं0 07/2007 को रद्द कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षणकर्ता द्वारा समाहर्त्ता एवं जिला दंडाधिकारी, सिवान के न्यायालय में वाद सं0–56/2019–20 दायर किया गया। जिसकी विधिवत् सुनवाई के पश्चात् समाहर्त्ता, सिवान द्वारा दिनांक– 08.07.2021 को पारित पुनरीक्षणकर्ता के अपील आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया। तदन्तर उक्त आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षणकर्ता माननीय न्यायालय में CWJC No. 6794/2022 दाखिल किये। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक–13.10.2022 को पारित आदेश के आलोक में समाहर्त्ता, सिवान द्वारा पुनः विधिवत् सुनवाई कर दिनांक– 18.09.2023 को पारित आदेश में दिनांक– 08.07.2021 के आदेश को यथावत रखा है। इस प्रकार निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई प्रक्रियात्मक/ वैधानिक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

(ii) पुनरीक्षणकर्ता पर e-POS मशीन को गलत मंशा से खराब किए जाने का प्रमाणित आरोप है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत e-POS मशीन के अधिष्ठापन एवं क्रियान्वयन मार्गदर्शिका, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–845 खाद्य, पटना/दिनांक 19.02.2018 की कंडिका–3 [V], (घ) में अंकित निदेश निम्नांकित हैः–

''जन वितरण प्रणाली दुकानों में अधिष्ठापित e-POS यंत्रों के सुरक्षा की पूर्ण जवाबदेही जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं की होगी तथा इसके सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर में छेड़–छाड़ किये जाने पर इनके विरूद्ध विधिसम्मत् कार्रवाई की जायेगी।''

इस प्रकार स्पष्ट है कि पुनरीक्षणकर्ता द्वारा किया गया कार्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत e-POS मशीन के अधिष्ठापन एवं क्रियान्वयन मार्गदर्शिका, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–845 खाद्य, पटना/दिनांक 19.02.2018 की

Web Copy Not Official

	कंडिका–3[V], (घ) में वर्णित प्रावधान के प्रतिकूल है तथा पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने बचाव में इस न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश का विखंडन किया जा सके। निम्न न्यायालय द्वारा CWJC No. 6794/2022 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में नैंसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का अनुपालन करते हुए पुनरीक्षणकर्ता को अपना पक्ष रखने का सूमचित मौका देन के बाद स्पष्ट विवेचना करते हुए मुखर आदेश पारित किया गया है। अतः उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं पाते हुए इस पुनरीक्षण वाद को **<u>अस्वीकृत</u>** किया जाता है। *आई0टी0 सहायक को आदेश दिया जाता है कि आदेश प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर इस आदेश को आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।* **लेखापित एवं संशोधित** **आयुक्त** **आयुक्त**	

Web Copy Not Official